राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

निर्वाचन भवन

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची–834001

अधिसूचना

ख्या–03नि0 / प0–83 / 2018 रा0नि0आ0. 1550   राँची दिनांक 20.11.18

यत: झारखण्ड राज्य के राज्यपाल, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 की उपधारा 4 के धीन निर्गत की गई ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) विभाग की अधिसूचना संख्या **4184** राँची, दिनांक .11.2018 द्वारा संलग्न अनुसूची–1 के स्तम्भ (6) में यथाविनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के र्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते है कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के सदर्भ में वे उक्त धिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक चरण में दिनांक 19.12.2018 को भी 24 जिलों में मतदान कर पदधारी निर्वाचित कर दें,

अत: झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 36 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन ायोग, झारखण्ड एतद्द्वारा एक चरण में अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त प निर्वाचन के सम्बंध में निम्नरुपेण निर्वाचन प्रक्रम को नियत करता है –

क)	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र 5 में उप निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख	22.11.2018 (गुरुवार)
ख)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	30.11.2018 (शुकवार)
ग)	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	01.12.2018 (शनिवार)
घ)	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	03.12.2018 (सोमवार)
ङ)	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक)	04.12.2018 (मंगलवार)
च)	मतदान की तारीख (प्रात: 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	19.12.2018 (बुधवार)
छ)	मतगणना की तारीख (प्रात: 8:00 बजे से)	22.12.2018 (शनिवार)
ज)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन प्रकिया को सम्पन्न करा लिया जाएगा	23.12.2018 (रविवार)

और कण्डिका (च) में अंकित किए गए समय को ऐसे समय के रुप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि ावश्यक हुआ तो उप निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को अनुसूची–1 के स्तम्भ (6) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी र्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा,

और उपर्युक्त अंकित निर्वाचन प्रक्रमों में प्रक्रम (क) से (ङ) तक की प्रकिया के लिए सम्बंधित निर्वाची दाधिकारी के कक्ष को स्थान के रुप में विनिर्दिष्ट करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

20/11/18

(ज्ञानेन्द्र कुमार)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
झारखण्ड, राँची।